भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1839

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

एलआईसी के एजेंटों की शिकायतें

1839. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एजेंटों की यूनियनों की ओर से उनके समक्ष आ रही समस्याओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)से (ख): सरकार को समय-समय पर विभिन्न मुद्दों के संबंध में एलआईसी एजेंटों की यूनियनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु सभी मुद्दों को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ साझा किया जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम सहित सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां बोर्ड द्वारा अभिशासित वाणिज्यिक संस्थाएं हैं, जो प्रतिस्पर्धी और विनियमित बाजार में कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओं को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और इरडाई द्वारा निर्धारित समग्र विनियामकीय ढांचे के अनुसार ऐसे मामलों में उपयुक्त निर्णय लेने का अधिकार है।

*****